



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220909
CG-DL-E-06082020-220909

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2305]
No. 2305]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SHRAVANA 14, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

का.आ. 2603(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जिले में NH87 के कि.मी. 64.00 से कि.मी. 93.226 (डीएम ऑफिस नैनीताल) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नैनीताल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में NH87 के कि.मी. 64.000 से कि.मी. 93.226 (डीएम ऑफिस नैनीताल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखंड		जिले का नाम: नैनीताल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हल्द्वानी					
गांव का नाम: हरिपुर पूर्णानंद					
1	115	सरकारी	गैर कृषि	1.3410000(हेक्टेयर)	1.3410000
तालुक का नाम: लालकुआं					
गांव का नाम: बच्चीपुर					
1	124	सरकारी	गैर कृषि	0.3790000(हेक्टेयर)	0.3790000
गांव का नाम: जग्गी बंगर					
1	458	सरकारी	गैर कृषि	1.0110000(हेक्टेयर)	1.0110000
2	459	सरकारी	गैर कृषि	0.8600000(हेक्टेयर)	0.8600000
गांव का नाम: पडलीपुर					
1	256	सरकारी	गैर कृषि	0.0930000(हेक्टेयर)	0.0930000
2	257	निजी	गैर कृषि	0.3480000(हेक्टेयर)	0.3480000
3	259	निजी	गैर कृषि	0.0380000(हेक्टेयर)	0.0380000
4	260	सरकारी	गैर कृषि	0.6600000(हेक्टेयर)	0.6600000
5	261	सरकारी	गैर कृषि	0.7180000(हेक्टेयर)	0.7180000
6	263	सरकारी(गैर कृषि)	गैर कृषि	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
7	265	सरकारी	गैर कृषि	0.1130000(हेक्टेयर)	0.1130000
कुल				5.5740	5.5740

[फा. सं. NHAI/BOT/11013/17/2009/LA/PIU/Rudrapur/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2020

S.O. 2603(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH87 in the stretch of land from Km. 64.000 to Km. 93.226 (DM Office Rudrapur) in the district of NAINITAL in the state of UTTARAKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer Nainital in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH87 in the stretch of land from km 64.000 to 93.226 NH87 (DM Office nainital) in the district of NAINITAL in the state of UTTARAKHAND.

State: UTTARAKHAND		District: NAINITAL			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Haldwani					
Village: Haripur Purnanand					
1	115	Government	Non Agriculture	3410000(Hectare)	1.3410000
Taluk: Lalkuan					
Village: Bacchhipur					
1	124	Government	Non Agriculture	3790000(Hectare)	0.3790000
Village: Jaggi Bangar					
1	458	Government	Non Agriculture	0110000(Hectare)	1.0110000
2	459	Government	Non Agriculture	8600000(Hectare)	0.8600000
Village: Padalipur					
1	256	Government	Non Agriculture	0930000(Hectare)	0.0930000
2	257	Private	Non Agriculture	3480000(Hectare)	0.3480000

3	259	Private	Non Agriculture	0380000(Hectare)	0.0380000
4	260	Government	Non Agriculture	6600000(Hectare)	0.6600000
5	261	Government	Non Agriculture	7180000(Hectare)	0.7180000
6	263	Government(Non Agriculture)	Non Agriculture	0130000(Hectare)	0.0130000
7	265	Government	Non Agriculture	1130000(Hectare)	0.1130000
Total				5.5740	5.5740

[F. No. NHAI/BOT/11013/17/2009/LA/PIU/Rudrapur/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.